उपनियम

GIO
NATIONAL FEDERATION

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ गर्ल्स इस्लामिक आर्गेनाइजेशन

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ गर्ल्स इस्लामिक आर्गेनाइजेशन

उपनियम

मुख्यालय: D-321, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली, भारत, पिन: 110025

वेबसाइट: www.gioindia.org | ईमेल: federation@gioindia.org

GIO NATIONAL FEDERATION

नेशनल फेडरेशन ऑफ़ जी. आई. ओ.

उपनियम

खण्ड १ - नाम और गठन

धारा १ : नाम

धारा २ : संरचना

धारा ३ : गठन की तिथि

खण्ड २ - मिशन, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

धारा ४ : मिशन

धारा ५ : उद्देश्य

धारा ६ : कार्य - प्रणाली

खण्ड ३ - GIO प्रदेशों के साथ सम्बन्ध

धारा ७ : कार्य - क्षेत्र

खण्ड ४ - संरक्षक एवं संरचना

धारा ८ : प्रधान संरक्षक

धारा ९ : फेडरल कमेटी

धारा १० : चुनाव एवं नियुक्ति संबंधित अपेक्षित अहर्ताएं

धारा ११ : राष्ट्रीय अध्यक्ष

धारा १२ : महासचिव

धारा १३ : कार्यकाल

खण्ड ५ - बैठक

धारा १४: बैठकों की संख्या

धारा १५: कोरम

धारा १६: कार्यवाही

धारा १७: फ़ैसलों का तरीक़ा

धारा १८: विशेष निमंत्रक गण (special invitees)

खण्ड ६ - वित्त व्यवस्था

धारा १९: आय के साधन

खण्ड ७ - विविध

धारा २०: उपनियम में संशोधन

धारा २१: अधिनियम

धारा २२: समापन

अल्लाह के नाम से, जो अत्यंत कृपालु और दयावान है

खण्ड १

नाम और गठन

धारा - १

नाम

इस फेडरेशन का नाम 'नेशनल फेडरेशन ऑफ़ जी. आई. ओ.' (गर्ल्स इस्लामिक आर्गेनाइजेशन) होगा।और इस उपनियम का नाम नेशनल फेडरेशन ऑफ जीआईओ का उपनियम होगा।

धारा - २

संरचना

राज्य या जोनल स्तर पर कार्यरत सभी GIO प्रदेश (Zone) फेडरेशन के सदस्य हैं तथा उनका नाम GIO प्रदेश (Zone) ही होगा। इस फेडरेशन की स्थापना के बाद जो भी नया प्रदेश (Zone) बनेगा वह स्वत: ही फेडरेशन का सदस्य बन जाएगा।

धारा - ३

गठन की तिथि

यह फेडरेशन शाबानुल मुअज्जम १४४३ की २७ वीं तारीख़ को अर्थात ३१ जुलाई २०२२ को गठित किया गया।

खण्ड २

मिशन, उद्देश्य एवं कार्य-प्रणाली

धारा - ४

मिशन

फेडरेशन का मिशन ईश्वरीय मार्गदर्शन के अनुसार समाज के नव-निर्माण के लिए छात्राओं और युवतियों को तैयार करना होगा।

धारा - ५

उद्देश्य

फेडरेशन का लक्ष्य अल्लाह को राज़ी करना और निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आखिरत में सफलता प्राप्त करना होगा:

१. सभी प्रदेशों के बीच समन्वय, बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान।
२. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया व अन्य प्लेटफार्मों पर जीआईओ का प्रतिनिधित्व करना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जीआईओ का पक्ष स्पष्ट करना।
३. फेडरल कमेटी के सदस्यों के नेतृत्व कौशल को विकसित करना तथा जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करना।
४. सभी प्रदेशों की जीआईओ की मीक़ात (कार्यकाल), प्रतीक चिन्ह (लोगो) और झंडे को समरूप (एक समान) बनाना।

धारा - ६

कार्य-प्रणाली

१. फेडरेशन का वास्तविक मार्गदर्शक और आधारशिला क़ुरआन व सुन्नत होंगे।
२. फेडरेशन अपने सभी कार्यों में नैतिक सीमाओं का पाबंद होगा।
३. फेडरेशन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैध साधनों का प्रयोग करेगा तथा निर्माणकारी व शांतिपूर्ण मार्ग अपनाएगा और उन तमाम कार्यों से बचेगा जो सांप्रदायिक वैमनस्य और वर्ग संघर्ष का कारण हों अथवा जो सुख व शांति जैसे मूल्यों के लिए हानिकारक हों।

खण्ड ३

GIO प्रदेशों के साथ सम्बन्ध

धारा - ७

कार्य-क्षेत्र

१. फेडरेशन अपने उद्देश्यों से संबंधित मामलों में GIO जोन्स का

मार्गदर्शन व निर्देशन करेगा। अन्य मामलों में यदि आवश्यकता हुई तो फेडरेशन सुझाव देगा।

२. फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत के उद्देश्य से फेडरल कमेटी में शामिल GIO जोन्स के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके GIO जोन्स से बातचीत करेगी, तथा प्रादेशिक अध्यक्ष से बातचीत प्रधान संरक्षक (सरपरस्त ए आला) के माध्यम से होगी।
३. फेडरेशन के उद्देश्यों की उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए GIO जोन्स इसकी गतिविधियों में सहयोग करेंगे।

नोटः प्रदेश स्तर पर GIO पहले की तरह अपने संविधान के मुताबिक अमीर ए हल्का की सरपरस्ती में ही काम करेगी।

खण्ड ४

संरक्षक एवं संरचना

धारा - ८

प्रधान संरक्षक

भाग १: इस फेडरेशन का एक प्रधान संरक्षक (सरपरस्त ए आला) होगा और वह अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद होगा।

भाग २: संरक्षक के कर्तव्य और अधिकार

१. इस बात का ध्यान रखना कि फेडरेशन अपने उद्देश्यों के अनुसार सही दिशा में अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है या नहीं, इस सम्बंध में उसे अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार क़दम उठा सके।
२. फेडरेशन के उपनियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव का चुनाव कराना।
३. राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव का त्यागपत्र स्वीकार करना।
४. फेडरेशन के हित में आवश्यकता पड़ने पर वह फेडरल कमेटी के परामर्श से अध्यक्ष और महासचिव को निलंबित और निष्कासित कर सकता है।

५. फेडेरेशन के हित में आवश्यकता पड़ने पर वह फेडरल कमेटी को भंग कर सकता है।
६. फेडरेशन के महत्वपूर्ण या विवादास्पद मुद्दों से संबंधित मामलों या क़ानूनी व्याख्या और संशोधन से संबंधित निर्णय प्रधान संरक्षक की स्वीकृति के बाद ही लागू किए जाएंगे।

नोट: प्रधान संरक्षक को अधिकार होगा कि अपना कर्त्तव्य आवश्यकतानुसार अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से अंजाम दे।

धारा - ९

फेडरल कमेटी

भाग १: फेडरल कमेटी के सदस्य

१. फेडरल कमेटी में प्रत्येक GIO प्रदेश (Zone) से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होंगे।
२. राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्येक प्रदेश (Zone) में सदस्यों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर मौजूदा फेडरल कमेटी से परामर्श के बाद, प्रत्येक प्रदेश (Zone) से प्रतिनिधियों की संख्या तय करेगी।
३. राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग और सुझावों के लिए फेडरल कमेटी एक सलाहकार परिषद के रूप में कार्य करेगी जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन महत्वपूर्ण विषयों में सुझाव देगी जिनका संगठन की नीतियों या उसके अनुशासन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता हो या जो परस्पर विरोधी हो सकता हो।
४. फेडरेशन के उद्देश्यों और नीतियों की पूर्ति हेतु फेडरल कमेटी के सदस्य फेडरेशन की गतिविधियों में सहायता करने और भाग लेने के पाबंद होंगे।
५. फेडरल कमेटी के सदस्य अपने GIO प्रदेशों में फेडरेशन की गतिविधियों को कार्यान्वित करवाने के लिए अपने-अपने प्रदेशों की GIO अध्यक्ष को प्रेरित करेंगे।

भाग २: प्रतिनिधियों का चुनाव

प्रत्येक प्रदेश (Zone) में जहां GIO मौजूद है वहां प्रादेशिक सलाहकार परिषद

(ZAC) द्वारा उनके अमीर ए हल्का के संरक्षण में पूरे प्रदेश (Zone) की GIO सदस्यों में से एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों को चुना जाएगा।

नोट: यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव फेडरल कमेटी के सदस्यों में से चुने जाते हैं तो फेडरल कमेटी के रिक्त पद को भरने के लिए उस प्रदेश (Zone) से दूसरे प्रतिनिधि को चुना जाएगा जिस प्रदेश (Zone) से राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव संबंध रखते हैं।

भाग ३: अपेक्षित अहर्ताएं

१. वह GIO की सदस्य हो, किंतु किसी पद की अभिलाषी न हो।
२. इसलामी ज्ञान, ईशभय (तक्वा), अमानतदारी, सूझ-बूझ, सोच-विचार, तहरीक के स्वभाव से परिचित, संविधान की पाबंदी, अल्लाह के मार्ग में दृढ़ता और संघर्ष एवं सांगठनिक दक्षता के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र में सामूहिक तौर पर बेहतर हो।
३. फेडरेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सब सदस्यों की तुलना में सब से बेहतर हो।
४. किसी सदस्य की प्रदेश (Zone) में किसी तरह की जिम्मेदारी उसके फेडरल कमेटी में चुने जाने के लिए रुकावट नहीं बनेगी।

भाग४: आयु सीमा

१. फेडरल कमेटी की सदस्य की आयु ३० वर्ष से अधिक व १५ वर्ष से कम न हो।
२. यदि कोई सदस्य कार्यकाल के दौरान ३० वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तो कार्यकाल के अंत तक वह फेडरल कमेटी की सदस्य बनी रहेगी।

धारा - १०

चुनाव एवं नियुक्ति संबंधी अपेक्षित अहर्ताएं

१. वह GIO की सदस्य हो किन्तु किसी पद की अभिलाषी न हो।
२. इस्लामी ज्ञान, ईशभय (तक्वा), अमानतदारी, सूझ-बूझ, सोच-विचार, सौम्य और सहनशील, निर्णय-शक्ति, तहरीकी स्वभाव से परिचित, उपनियम की पाबंद, अल्लाह के मार्ग में दृढ़ता और संघर्ष एवं सांगठनिक दक्षता के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र में सामूहिक तौर पर बेहतर हो।

धारा - ११

राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाग १: स्थान

राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्थान नेशनल फेडरेशन ऑफ़ जी. आई. ओ. की प्रमुख का होगा।

भाग २: राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

फेडरल कमेटी के सदस्य GIO के सदस्यों में से फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव करेंगे।

भाग ३: राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्त्तव्य और अधिकार:

१. फेडरेशन के अनुशासन एवं व्यवस्था को ठीक ठाक रखना।
२. फेडरल कमेटी के सदस्यों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करना।
३. फेडरेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना।
४. फेडरेशन की पॉलिसी तैयार करना और उसे संशोधित करना तथा फेडरल कमेटी के परामर्श से विवादास्पद मामलों को सुलझाना।
५. फेडरल कमेटी की बैठकें आयोजित करना तथा उनकी अध्यक्षता करना।
६. राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कुछ जिम्मेदारियों का पालन करवाने के लिए फेडरल कमेटी के परामर्श से उपाध्यक्ष और सचिवों को चुनने का अधिकार होगा।
७. त्यागपत्र स्वीकार करने तथा फेडरेशन के किसी मनोनीत पदाधिकारी को बरखास्त करने का उसे आधिकार होगा।
८. फेडरेशन की उन्नति के लिए फेडरल कमेटी के परामर्श और उसके द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं का ध्यान रखते हुए उसे फेडरेशन की संपत्ति को उपयोग करने तथा फेडरेशन की तरफ़ से चल एवं अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय और आदान-प्रदान या स्थानांतरण करने का अधिकार होगा।
९. वह प्रधान अभिभावक के निर्देश की पाबंद और उसके सामने जवाबदेह होगी।

१०. उपनियम की धारा ११ के भाग नंबर २ के तहत वह उस समय तक अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी जब तक नई अध्यक्ष कार्यभार नहीं संभाल ले।

भाग ४: अंतरिम या कार्यवाहक अध्यक्ष

१. यदि अध्यक्ष के लिए अस्थाई रूप से अपने पद से बरी होना ज़रूरी हो जाए या किसी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह अंतरिम अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष को फेडरल कमेटी के परामर्श से नियुक्त करेगी। या फिर फेडरल कमेटी प्रधान अभिभावक की देखरेख में आपसी परामर्श से समय विशेष के लिए किसी एक का चुनाव करेगी। चार महीने की अवधि में इस फ़ैसले की समीक्षा की जाएगी और परिस्थिति के अनुसार या तो नियुक्ति बढ़ा दी जाएगी या फिर नई अध्यक्ष चुन ली जाएगी।
२. स्थाई अध्यक्ष की वापसी पर अंतरिम या कार्यवाहक अध्यक्ष का पद स्वत: समाप्त हो जाएगा।
३. अंतरिम या कार्यवाहक अध्यक्ष को स्थाई अध्यक्ष के रूप में भी चुना जा सकता है या नहीं भी चुना जा सकता।

नोट: अंतरिम अध्यक्ष को धारा १० के भाग ३ के तहत स्थाई अध्यक्ष के कर्त्तव्यों और अधिकारों को इस्तेमाल करने का हक हासिल है जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करेगी जो उसे प्रदान किए गए हैं।

धारा - १२

महासचिव

भाग १: महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष फेडरल कमिटी के परामर्श और प्रधान अभिभावक की मंजूरी से करेगी।

भाग २: महासचिव के कर्त्तव्य और अधिकार :

१. फेडरेशन के विभागों की निगरानी
२. सांगठनिक कार्यों की देखभाल एवं अनुशासनिक व्यवस्था ठीक रखना।
३. समस्त सांगठनिक प्रदेशों से संबंध रखना, उनके कामकाज में सुविधा

प्रदान करना और स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के तहत उनका मार्गदर्शन करना।

४. पॉलिसी और प्लान को लागू करना।
५. उपरोक्त विषयों में महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के तहत काम अंजाम देगी और उसके सामने जवाबदेह होगी।
६. वह अपने पद के आधार पर फेडरल कमिटी की पदेन सदस्य होगी।

धारा - १३

कार्यकाल

१. फेडरेशन का कार्यकाल दो वर्षीय होगा। चुनाव और नियुक्तियां दो साल के लिए होंगी।
२. यदि कार्यकाल के मध्य में किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए चुनाव या नियुक्ति करना पड़े तो ये चुनाव या नियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होंगे।
३. फेडरेशन के पदों पर आसीन सदस्यों की आयु यदि मध्यावधि में तीस वर्ष से अधिक हो रही हो तो अपने पदों पर बने रहने में उनकी आयु अवरोधक नहीं होगी।

खण्ड ५

बैठक

धारा - १४

बैठकों की संख्या

१. फेडरल कमेटी के सदस्य सामान्य रूप से साल में एक बार बैठक करेंगे परंतु दो बैठकों के बीच १४ महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
२. राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब भी आवश्यकता हो आपातकालीन बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

धारा - १५

कोरम

सत्र के लिए कोरम फेडरल कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या का ५०% होगा।

यदि कोरम के अभाव में यह सत्र स्थगित करना पड़े तो अगले सत्र के लिए कोरम की शर्त नहीं होगी।

धारा- १६

कार्यवाही

फेडरल कमेटी की नियमित बैठक में निम्न विषय विचार विमर्श के लिए पेश होंगे:

१. फेडरेशन की वार्षिक रिपोर्ट और आय-व्यय के विवरण की समीक्षा।
२. आगामी वर्ष का बजट और योजना।
३. पॉलिसी और प्रोग्राम की रचना या संशोधन।
४. व्याख्या और संशोधन से संबंधित फैसले।

धारा - १७

फैसलों का तरीक़ा

प्रयास किया जाएगा कि फेडरल कमेटी के फ़ैसले सर्वसम्मति से हों अन्यथा बहुमत से होंगे। यदि मत विभाजन समान हो जाए तो निर्णय उस मत के अनुसार होगा जिसमें फेडरेशन की अध्यक्ष का मत शामिल हो।

धारा - १८

विशेष निमंत्रक गण

अध्यक्ष फेडरल कमेटी से बाहर (नॉन फैडरल कमेटी) के किसी सदस्य को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकती है, परन्तु आमंत्रित सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

खण्ड ६

वित्त व्यवस्था

धारा - १९

आय के साधन

फेडरेशन की वित्तीय आवश्यकताएं जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर की स्वीकृति के बाद, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की देखभाल में अंजाम दी जाएंगी।

खण्ड ७

विविध

धारा - २०

उपनियम में संशोधन

१. उपनियम में संशोधन के प्रस्ताव का आरंभ फेडरल कमेटी की किसी भी सदस्य द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में किया जा सकता है।
२. फेडरल कमिटी के दो तिहाई बहुमत की सहमति और प्रधान अभिभावक की अनुमति के पश्चात ही उपनियम की व्याख्या और संशोधन से संबंधित निर्णय लिया जा सकता है।

धारा - २१

अधिनियम (Regulations)

फेडरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक विनियम (नियम कायदे) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फेडरल कमेटी के सदस्यों के परामर्श से तैयार किए जाएंगे जो प्रधान संरक्षक (सरपरस्त ए आला) की स्वीकृति से लागू होंगे।

धारा - २२

समापन

यदि कोई प्रतिनिधि किसी कारणवश मध्यावधि में GIO की सदस्य नहीं रहती तो उसे फेडरल कमेटी की सदस्यता से हटा कर उसके स्थान पर संबंधित प्रदेश (Zone) से चुने गए प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, परन्तु वह धारा ९ के भाग ४ (२) के दायरे के अन्तर्गत न आए।

☆☆☆